



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – दुर्ग, (छ.ग.)



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2026 266

दुर्ग, दिनांक २०.०१./२०२६

—:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला-दुर्ग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत आरओपी के संबंध में Commissioner Cum Mission Director National Health Mission Nawa Raipur, Chhattisgarh के पत्र क्रमांक/NHM/Proj-4107/6/2025-Section(NHM)/ 2251 Date 15-09-2025 के अनुसार नवीन स्वीकृत पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है जिसके लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट एवं त्रुटिरहित ऑनलाईन आवेदन दिनांक 21.01.2026 से 04.02.2026 तक सायं 5.30 बजे तक वेबसाइट www.durg.gov.in पर कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत अथवा अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिला स्तरीय रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है –

भाग – 'अ'														
क्रं.	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह (रु. में)	श्रेणीवार रिक्त पद								दिव्यांग	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	
				रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
					मु.	म.	मु.	म.	मु.	म.	मु.			म.
1	Staff Nurse	PICU/ HDU	16000.00	27	12	5	3	1	3	0	2	0	1	BSC Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing council
2	Staff Nurse	LMU	16000.00	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	BSC Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing council
3	Community Health Officer	NHM	16500.00	18	8	3	3	0	2	0	1	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण। & Live Registration in Chhattisgarh Nursing council अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी. एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण। & Live Registration in Chhattisgarh Nursing council
Total Post				47	21	8	6	1	5	0	4	0	2	

नोट :-

- 1 समस्त पद संविदा के हैं।
- 2 उक्त पदों पर नियमानुसार शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्षैतिज व प्रवर्गवार महिलाओं/नि:शक्तजन के लिये आरक्षण लागू होगा। छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी विशेष आरक्षण नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
- 3 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से तथा समस्त प्रमाण पत्र, विज्ञापन तिथि या उसके पूर्व का धारित होना अनिवार्य है।
- 4 इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अधीन होगी।

Asingh

27

DS

9

1

ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश :-

1. आवेदन ऑनलाईन एवं निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा जो दिनांक 21.01.2026 से 04.02.2026 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक वेबसाइट पर www.durg.gov.in पर किये जा सकते हैं।
2. आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, जिसके पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड आवेदक के पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-ईन करें।
3. आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के पश्चात् Save Application पर click करें और Final Submit पर Click करेंगे। ऑनलाईन Submit किये गये आवेदन का प्रिंट निकालकर एवं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जावेगा जिसे अमान्य किया जावेगा।
4. हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात् उसे सुरक्षित रखें, जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की अंकसूची (जिसमें समस्त वर्षों का अंक दर्शित हो) अथवा समस्त वर्षों की अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्र/कोविड अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को जाति, निवास, पंजीयन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड नहीं करना है। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण के समय उनका सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तीकर्ता का होगा।
8. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रविष्ट की गयी जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनायी जावेगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने/अपूर्ण जानकारी प्रदाय करने पर आवेदक का आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करना सुनिश्चित करें।
9. आवेदन शुल्क :- राज्य शासन के सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2/2022/एफ 10-2/2022/एक(1) दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा।
10. दिव्यांगता - छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक /एफ20-4/2014/आ. प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014 के पत्र क्रमांक एफ1-21/2014/सक/26 अनुसार आरक्षित दिव्यांग पद निम्नानुसार अभ्यर्थियों के लिये चिन्हांकित किया जाता है -

स.क्र.	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु पात्रता
01	Staff Nurse	PICU/HDU	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
02	Community Health Officer	NHM	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।

11. आयु सीमा-

- 11.1 संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।
11.2 आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जायेगी।


12. आवश्यक दस्तावेज:- आवेदक दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेखों की मूलप्रति अनिवार्यतः लेकर आवे।

- 12.1 10 वी की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
12.2 12 वी की अंकसूची।
12.3 स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
12.4 संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
12.5 छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
12.6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण - पत्र (यदि लागू हो तो)।
12.7 यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)। शारीरिक दिव्यांग आवेदन हेतु मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12.8 पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)
12.9 यदि आवेदक किसी शासकीय/अर्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
12.10 शासकीय/अर्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित संस्था का नियुक्ति आदेश एवं नियोक्ता का अनुभव प्रमाण - पत्र।

13 अनुभव प्रमाण पत्र -

- 13.1 विज्ञापित पद से संबंधित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा।
13.2 अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
13.3 अनुभव के लिए अंकों की गणना किसी एक संस्था में एक पद पर 12 माह कार्य पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।
13.4 अनुभव प्रमाण पत्र में नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा जिसके बिना अनुभव के अंको की गणना नहीं की जावेगी।
13.5 अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रं.F1-67/2021/सत्रह -1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/02/2023 मे प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा।
13.6 कोविड-19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने का नियुक्ति तथा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी/नियुक्तकर्ता द्वारा जारी संलग्न किया गया हो।
13.7 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना हैं एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हे अनुभव के अधिकतम 10/15 अंक तक दिया जाना हैं। इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को दोनों अनुभव में किसी एक अनुभव का अधिकतम अंक दिया जावेगा।














14 भर्ती प्रक्रिया :-

- 14.1 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त पात्र आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अभ्यर्थियों को तैयार मेरिट के अनुसार दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट/क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट हेतु बुलाया जावेगा-

क्रमांक	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

- 14.2 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय विज्ञापन से पूर्व जो अर्हता/दस्तावेज है, केवल उन्ही दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य किया जावेगा। विज्ञापन उपरांत जारी किसी भी नवीन दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 14.3 परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के समय आवेदन के समय उल्लेखित किये गये समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के अभाव में परीक्षा हेतु पात्रता निरस्त किया जायेगा।
- 14.4 उक्त पद हेतु नर्सिंग/पैरामेडिकल काउन्सिल में जीवित एवं स्थायी पंजीयन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें अपात्र किया जायेगा।

15 चयन सूची का प्रकाशन :-

- 15.1 पद क्रमांक 01 से 03 तक के लिए अंको का निर्धारण :-
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक।
 - कौशल/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार 20 अंक।
 - अनुभव का अंक 10/15
- 15.2 संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2022/एन.एस.-1637/3703 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.02.2022 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है जिससे कम होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- 15.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 65 प्रतिशत, कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में प्राप्त अंक एवं अनुभव के अंकों को सम्मिलित करते हुये मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसके आधार पर अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा। त्रुटिरहित होने की स्थिति में अनंतिम चयन सूची को अंतिम चयन सूची के रूप में प्रकाशित किया जावेगा।

16 प्रतीक्षा सूची:-

उक्त पद के लिए वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक, जो भी पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

//भाग - स//

भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

- 1 सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं, संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।
- 2 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

Asingh

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

- 3 संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ. पी. अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- 4 वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
- 5 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देनी होगी अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 6 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 8 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 9 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 10 अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ.प्र./1-3, नवा रायपुर, दिनांक 29.05.2023 अनुसार विशिष्ट जीवित दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति के समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के अनुवर्तन में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को घोषणा -पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा। (OL-One leg)
- 11 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा। तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 12 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नहीं होगा।
- 13 चयन उपरान्त सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वे अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेंगे।
- 14 प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार चयन समिति/नियुक्ता का होगा।
- 15 प्रकाशित प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची का अवलोकन अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से विभागीय वेबसाइट **www.durg.gov.in** पर करना सुनिश्चित करे, अन्यथा दावा आपत्ति की अंतिम तिथि उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 16 योग्य/पात्र उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
- 17 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट आधार पर काउन्सिलिंग अनुसार की जायेगी।
- 18 संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
- 19 भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा आधार पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- 20 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत दावा- आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले की विभागीय वेबसाइट **www.durg.gov.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल में किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।


20.01.2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग(छ.ग.)

Asingh



